ऊर्जा विभाग बिहार, पटना।

क्र0 सं0	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ	योजना/कार्यक्रम/सेवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का नाम
1	जल विद्युत	इसमें राज्य की नदियों/जलाशयों, जहाँ तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है, वहाँ जल विद्युत परियोजना का अधिष्ठापन तथा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है ।	उत्पादित बिजली वितरण कम्पनियों के ग्रिड के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाता है।	
2	सौर ऊर्जा	इसके अंतर्गत सोलर पैनल के माध्यम से सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जाता है। सोलर पैनल ग्राउण्ड माउन्टेड ग्रिड कनेक्टेड होते हैं जिससे उत्पादित बिजली वितरण / संचरण कम्पनियों के ग्रिड में जाता है। सोलर पैनल का अधिष्ठापन भवनों के छतों (Rooftop) पर भी किया जाता है जिससे उत्पादित बिजली का उपयोग उसी भवन में होता है। निजी आवासीय भवनों के छतों पर 10 किलोवाट क्षमता तक का सोलर पैनल लगाने पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है।	Rooftop Solar Panel – 1- **पात्रता-** बिजली के घरेलू उपभोक्ता जिनके घरों के सहायक विद्युत अभियंता छतों पर पर्याप्त जगह तथा धूप उपलब्ध हो। 2- **कार्यक्षेत्र**- राज्य के सभी जिले । 3- **योजना का क्रियान्वयन-** इच्छुक आवेदक नेशनल पोर्टल https://solarrooftop.gov.in/ पर दिये गये लिंक पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके उपरांत उन्हें अपने क्षेत्र के सहायक विद्युत अभियन्ता (आपूर्ति) से संपर्क करना होता है। 4- **योजना से लाभ-** सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली का उपयोग उपभोक्ता द्वारा किये जाने से ग्रिड से ली जाने वाली बिजली में कमी आती है जिससे उनका विद्युत विपत्र की राशि में बचत होती है।	Rooftop Solar Panel- सहायक विद्युत अभियंता (आपूर्ति)
3	मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना	यह योजना सरकार के सात निश्चय - 1 के अंतर्गत सभी इच्छुक ग्रामीण ए०पी०एल० परिवारों को विद्युत संबंध प्रदान करने हेतु बनायी गयी जिसे बाद में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (SAUBHAGYA) में समाहित कर लिया गया। योजना को अक्टूबर,2018 में पूर्ण कर लिया गया।	1- **पात्रता-** विद्युत संबंध से वंचित ग्रामीण क्षेत्र के सभी ए०पी०एल० परिवार । 2- **कार्यक्षेत्र**- राज्य के सभी जिले । 3- **योजना का क्रियान्वयन-** सभी गाँवों में कैम्प लगाकर इच्छुक ए०पी०एल० परिवारों से विद्युत संबंध हेतु आवेदन	

			प्राप्त किया गया तथा उन्हें विद्युत संबंध प्रदान किया गया। वर्तमान में योजना का कार्य समाप्त हो चुका है। 4- **योजना से लाभ-** बिजली से वंचित सभी इच्छुक ग्रामीण ए०पी०एल० परिवारों को उनके घरों में विद्युत संबंध प्रदान कर विद्युत की आपूर्ति की गई।	
4	ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	सभी अविद्युतीकृत एव आंशिक विद्युतीकृत गाँवों के पूर्ण विद्युतीकरण हेतु यह योजना लागू की गई। योजना का आरम्भ 10वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के नाम से किया गया। बाद में इस योजना का नाम दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हुआ । यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना तक लागू रहा । विद्युतीकरण के उपरांत सभी ग्रामीण बी० पी०एल० परिवारों को निःशुल्क विद्युत संबंध प्रदान किया गया। इस योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1- **पात्रता-** सभी अविद्युतीकृत एवं आंशिक विद्युतीकृत गाँव, टोले / बसावट एवं सभी विद्युत संबंध से वंचित ग्रामीण बी०पी०एल० परिवार । 2- **कार्यक्षेत्र**- राज्य के सभी जिले । 3- **योजना का क्रियान्वयन** - साउथ / नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा एजेंसी नियुक्त कर सभी गाँवों / टोलों / बसावटों का पूर्ण विद्युतीकरण किया गया तथा सभी इच्छुक बी०पी०एल० परिवारों से आवेदन प्राप्त कर उन्हें विद्युत संबंध प्रदान किया गया। 4- **योजना से लाभ**- बिजली से वंचित सभी इच्छुक ग्रामीण बी०पी०एल० परिवारों को उनके घरों में विद्युत संबंध प्रदान कर विद्युत की आपूर्ति की गई।	
5	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	यह योजना शेष ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य हेतु लागू की गई। ग्रामीण विद्युतीकरण के उपरांत सभी इच्छुक बी० पी०एल० परिवारों को विद्युत संबंध प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत कृषि फीडर का पृथक्करण किया गया तथा कृषि कार्य हेतु विद्युत संरचना का निर्माण किया गया। योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है	1- **पात्रता-** सभी शेष अविद्युतीकृत एवं आंशिक विद्युतीकृत गाँव, टोले / बसावट एवं सभी शेष विद्युत संबंध से वंचित ग्रामीण बी०पी०एल० परिवार । 2- **कार्यक्षेत्र**- राज्य के सभी जिले । 3- **योजना का क्रियान्वयन-** साउथ / नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा एजेंसी नियुक्त कर भी शेष गाँवों / टोलों / बसावटों का पूर्ण विद्युतीकरण किया गया तथा सभी शेष इच्छुक बी० पी०एल० परिवारों से आवेदन प्राप्त कर उन्हें विद्युत संबंध प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त कृषि कार्य हेतु बड़े पैमाने पर विद्युत संरचना का निर्माण किया गया।	

			4. **योजना से लाभ-** बिजली से वंचित सभी शेष इच्छुक ग्रामीण बी०पी०एल० परिवारों को उनके घरों में विद्युत संबंध प्रदान कर विद्युत की आपूर्ति की गई साथ ही संरचना निर्माण के उपरांत इच्छुक किसानों को कृषि कार्य हेतु विद्युत संबंध प्रदान किया गया।	
6	विद्युत तार टुटने झुलने से संबंधित मामले।	ग्रामीण क्षेत्रों के जर्जर पुरानी विद्युत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु यह योजना लागू की गई। इसके अंतर्गत 33 के०वी० 11 के०वी० तथा एल०टी० लाईन के पुराने तथा जर्जर तारों को बदला गया। इस योजना में एल०टी० लाईन के नंगे तारों को एरियल केबल (ए०बी० केवल) द्वारा बदला गया ताकि स्पर्शाघात तथा विद्युत चोरी की घटनाओं पर रोक लगे। योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1- **पात्रता**- यह कार्य विद्युत संरचना के सुदृढीकरण से संबंधित है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ता लाभान्वित हुए। 2- **कार्यक्षेत्र**- राज्य के सभी जिलें । 3- **योजना का क्रियान्वयन**- साउथ / नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा एजेंसी नियुक्त कर योजना का कार्यान्वयन सम्पन्न किया गया। 4- **योजना से लाभ-** इस योजना के कार्यान्वयन से ब्रेकडाउन एवं दुर्घटना में कमी आई जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की अवधि एवं गुणवत्ता में सुधार हुआ।	
7	विद्युत कनेक्शन से संबंधित मामले।	नये विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन समर्पित करना होता है। समर्पित कागजातो तथा स्थल के जांचोपरान्त सही पाये जाने पर आवेदक को विद्युत संबंध प्रदान किया जाता है। आवेदन के समय कोई शुल्क देय नहीं है। निर्धारित शुल्क की वसूली किस्तो में मासिक विपत्र के साथ की जाती है।	1- **पात्रता-** नये विद्युत संबंध हेतु इच्छुक व्यकित। 2- 2- **कार्यक्षेत्र**- राज्य के सभी जिले। 3- **योजना का क्रियान्वयन-** साउथ / नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा एजेंसी के माध्यम से नया विद्युत संबंध प्रदान किया जाता है। योजना से लाभ विद्युत आपूर्ति से वंचित व्यक्ति अथवा परिवार को विद्युत संबंध प्रदान कर विद्युत की आपूर्ति की जाती है।	1. कनीय विद्युत अभियंता-7 किलोवाट (निम्न विभव) तक। 2. सहायक विद्युत अभियंता-7 किलोवाट से ऊपर के सभी निम्न विभव। 3. विद्युत कार्यपालक अभियंता- सभी 11 के०वी० विद्युत संबंध में। 4. विद्युत अधीक्षण अभियंता- सभी 33 के०वी० एवं इसके

				ऊपर के विद्युत संबंध।
8	विद्युत विपत्र से संबंधित मामले	विद्युत उपभोक्ताओं का प्रति माह मीटर पठन कर विपत्रीकरण किया जाता है। साउथ / नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा नियुक्त एजेंसी के कर्मियों द्वारा स्पॉट बिलिंग के माध्यम से प्रीपेड मोड में स्मार्ट मीटर लगाये जा रहे हैं, जिसमें उपभोक्ता को पूर्व में हीं भुगतान करना होता है तथा खपत हुए बिजली की राशि उनके बैलेंस राशि से कटती रहती है। यह प्रक्रिया सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन होती है।	राज्य के सभी जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह व्यवस्था लागू है।	1. विद्युत कार्यपालक अभियंता- सभी निम्न विभव विपत्र। 2. विद्युत अधीक्षण अभियंता- (एच0टी0 बिलिंग)
9	ट्रांसफॉर्मर एवं उससे बदलाव से संबंधित मामले	विद्युत आपूर्ति हेतु लगाये गये वितरण ट्रांसफॉर्मर को जलने अथवा खराब होने पर वितरण कम्पनियों द्वारा बदला जाता है। शहरी क्षेत्रों में 24 घंटों के भीतर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटो के भीतर खराब ट्रांसफॉर्मर को बदलने प्रावधान है।	खराब ट्रांसफॉर्मर के बदले जाने से विद्युत की आपूर्ति बहाल हो जाती है जिससे उस ट्रांसफॉर्मर से संबंधित सभी बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होता है ।	विद्युत कार्यपालक अभियंता।
10	वितरण से संबंधित मामले	विद्युत वितरण से संबंधित सभी मामले साउथ / नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड तथा इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निष्पादित की जाती है।	राज्य के सभी विद्युत उपभोक्ता तथा आम जनता।	संबंधित कार्यालय।
11	विद्युत स्पर्शाघात से मानव क्षति से संबंधित शिकायत	विद्युत स्पर्शाघात से हुए दुर्घटना में घायल अथवा मृत्यु की स्थिति में क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है। स्पर्शाघात से मृत्यु होने पर चार लाख रूपये क्षतिपूर्ति दी जाती है।	दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति / परिवार	विद्युत कार्यपालक अभियंता।